

मूल वाद में डिक्री  
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा  
 (पीठसीन. अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)  
 पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

राजस्वरूप बनाम मंगलुराम आदि

दावा बाबत :- 88 RTACT

मुकदमा नम्बर :- 123/2021

निर्णय दिनांक :- 18-11-2021

वादी की ओर से वकील उमेश चौधरी की व प्रतिवादीगण की ओर से


वकील विकीर गुज्जरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-11-2021 को

मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेरा मोजा करणपुरा वारसी के खाला सं. 190/186 के खसरा सं. 62/2, 234/1, 234/4, 322/3, 323/2 कुल 4.578 हे वारसी प्रतिवादी सं. के नाम पर डRRP के खाला सं. 112/98 के मु.नं. 84 की 1.77 हे प्रतिवादी सं. के नाम पर 8MRR के खाला सं. 93/82 के मु.नं. 15 कुल 0.569 हे वारसी नदरी रगतोदार प्रतिवादी सं. मंगलुराम के नाम राजस्व रियास में दर्ज है मंगलुराम प्रतिवादी सं. मंगलुराम के बजार वारी राजस्वरूप प्रतिवादी सं. मंगलुराम, प्रतिवादी सं. 2 वृजलाल, प्रतिवादी सं. 3 राजसिंह का वारिसा वरावर के खालेदार आशाबाद वीवितु किये जाते हैं मुक्ति कृषि अति वाकमुनि काल के रखे व ला रखे मुक्त होने के उपरान्त दो राजस्व रियास के उमल दुरामद विप्य जावे राजीगाम का डिक्री का आज पढा जाय

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-11-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 शकुन्तला चौधरी (RAS)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 भादरा (हनुमानगढ़)